HAPUR POLICE

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग लडकी से छेड़छाड़ करने के मामले में एक आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 21.11.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग लडकी से छेड़छाड़ करने के मामले में 01 आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 06.01.2020 को अभियुक्त आशु उर्फ डैनी पुत्र खेमचन्द निवासी मौ0 लक्ष्मणपुरा थाना हापुड देहात जनपद हापुड़ द्वारा नाबालिग लडकी के साथ छेड़छाड़ करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड देहात पर मु0अ0सं0 09/2020 धारा 354क, 354घ भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 14.01.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- मॉनिटरिंग सैल हापुड़ द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 21.11.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल/पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री श्रवण कुमार गौतम, पैरोकार म0है0का0 कंचन व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।



